

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 12/2019 ::

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. ग्राम पंचायत कोसेलाव जरिये सरपंच कोसेलाव, नारायणसिंह पुत्र जीवराजसिंह, जाति राजपूत निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली
2. रतनलाल पुत्र नवारामजी, जाति माली निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

1. मृतक देवाराम पुत्र पुनाराम जाति सरगरा के विधिक वारिसान-
 - 1.1 सुकीदेवी पत्नी स्व श्री देवाराम
 - 1.2 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व श्री देवाराम
 - 1.3 भरतकुमार पुत्र स्व श्री देवाराम
 - 1.4 पप्पुराम पुत्र स्व श्री देवाराम
 - 1.5 दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री देवाराम
 - 1.6 निरमा कुमारी पुत्री देवाराम, जातिगण सरगरा, निवासीगण कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

--: निर्णय ::--

दिनांक :-11.02.2020

वकील अपीलाण्टगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2439 स्वीकृत दिनांक 29.08.2016 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/एफ/12(3)(31)स.प./राज./16/5107 दिनांक 19.08.2016 में वर्णित शर्तों के प्रतिकूल जाकर आदेश की अवहेलना करते हुए पारित किया है जो पृथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आदेश दिनांक 19.08.2016 को संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ/12(3)(31)स.प./राज./16/5107 जारी किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 10 में अंकित शर्तें संख्या 05 में संपरिवर्तन भूमि का 40.27 प्रतिशत क्षेत्र जन सुविधाओं हेतु छोड़ने एवं उक्त छोड़ी गई भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करने के भी आदेश दिये गये तथा उक्त जनसुविधाओं के लिए छोड़ी गई भूमि पर रेस्पोडेन्ट किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे जिसकी सुनिश्चितता भूमिधारी तहसीलदार करेंगे। अधीनस्थ तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2439 दिनांक 29.08.2016 को स्वीकृत किया जिसमें सम्पूर्ण संपरिवर्तित भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम स्वीकृत कर दिया जो उक्त शर्तों का उलंघन है तथा अवैध व विधि विरुद्ध होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। तथा

जिला कलेक्टर, पाली

संपरिवर्तन में उल्लेखित उक्त शर्तों की अक्षरशः पालना करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्र की 40.27 प्रतिशत भूमि को पुनः ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज करावें तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य रेस्पो. संख्या 01 न करें इसकी सुनिश्चितता भी तहसीलदार सुमेरपुर से कराई जाने के आदेश प्रदान करावें। संपरिवर्तन आदेश में अंकित बिन्दु संख्या 10 की शर्त संख्या 05 की पालना नहीं कि जाने से नामान्तरकरण **ab-initio void** होने से अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय फरमावें।

वकील रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि प्रस्तुत अपील में जो अनुतोष वकील अपीलान्ट द्वारा चाहा गया है वह इस सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2019 बअनवान ग्राम पंचायत कोसेलाव सरपंच नारायणसिंह वगैरा बनाम देवाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2019 के द्वारा दिया जा चुका है। इस वजह से प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो जाने से खारिज योग्य है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली संलग्न संपरिवर्तन आदेश की प्रति एवं दस्तावेजात के साथ ही मूल नामान्तरकरण का अवलोकन भी किया। संपरिवर्तन आदेश में अंकित बिन्दु संख्या 10 की शर्त संख्या 05 की पालना नहीं की जाने से अपील को राज्यहित में गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित होने से अन्दर मयाद शुमार की जाती है अपील में संलग्न संपरिवर्तन आदेश क्रमांक-एफ/12/3/सं.पं./राज./16/5107 दिनांक 19.08.2016 बिन्दु संख्या 10 के अध्याधीन शर्तें वर्णित हैं जिसकी शर्त संख्या 5 की पालना करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है। जैर अपील नामान्तरकरण में सम्पूर्ण संपरिवर्तित भूमि खातेदारों के नाम ही दर्ज कर दी गई है। जबकि बिन्दु संख्या 10 की शर्त संख्या 5 के अनुसार 40.27 प्रतिशत क्षेत्र जनसुविधाओं (पार्क सड़क व अन्य जनसुविधाओं) के लिए ग्राम पंचायत कोसेलाव के नाम दर्ज किया जाना था तथा शेष 59.73 प्रतिशत भूमि ले आउट प्लान अनुसार खातेदार के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। जिसकी पालना नहीं कर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की नियत से सम्पूर्ण भूमि का संपरिवर्तित क्षेत्र खातेदार के नाम ही दर्ज कर दिया तथा खातेदार उनमें निर्माण कार्य कर रहे हैं। जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2439 दिनांक 29.08.2016 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश के बिन्दु संख्या 10 शर्त संख्या 5 की पालना करते हुए ले आउट प्लान अनुसार 40.27 प्रतिशत संपरिवर्तन आराजी का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोसेलाव के नाम किया जावे तथा 59.73 प्रतिशत भूमि का इन्द्राज खातेदार के हक में किया जावें। तथा तहसीलदार सुमेरपुर ले आउट प्लान को स्पष्ट दृष्टीगत सूचना पट्ट मौके पर प्रार्थी से लगवाने तथा सम्बन्धित पटवारी हल्का/ग्राम सेवक जन सुविधाओं के लिए छोड़ी गई 40.27 प्रतिशत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें इसकी सुनिश्चितता करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ संबंधित सभी को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11:02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली